रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 490] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 1997/अग्रहायण 21, 1919
No. 490] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 1997/AGRAHAYANA 21, 1919

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1997

सा.का.नि. 699(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी संशोधन) विनियम, 1997 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[पी. आर. 12016/7/93-पी. ई.-I]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम 1997

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा बनाए गए नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) विनियम 1980 में निम्नलिखित संशोधन विनियम बनाती है बशर्ते कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 124 के अधीन केन्द्रीय सरकार का स्वीकृति हो ।

1 1. इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम 1997, कहा जाएगा ।

2. ये विनियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2 नव मंगलूर पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) विनियम 1980 (इसके बाद इसे 'उक्त विनियम ' कहा जाएगा) के, विनियम 3 में निम्नलिखित को उप-विनियम (ङ.) के रूप में शामिल किया जाएगा :-

1. "(ङ.) एक कर्मचारी के संबंध में "सेवा निवृत्ति की तारीख " अथवा "उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख " का मतलब है, उस महीने की अंतिम तिथि का अपराह्न है, जिस दिन कर्मचारी उसकी सेवा संबंधी शर्तों के अधीन सेवा निवृत्ति हेतु निर्धारित आयु को प्राप्त कर लेता है ।'

2. विनियम 3 के उप-विनियम (ङ.), (च) और (छ) को (घ), (छ) एवं (ज) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा और वर्तमान का उप-विनियम (ज) को निकाल दिया जाएगा ।

3. विनियम 3 के अधीन आगे दी गई टिप्पणी जोड़ दी जाएगी ।

टिप्पणी : इसमें प्रयुक्त शब्द एवं वाक्यांश जिनकी परिभाषा नहीं की गई हो किंतु उनकी परिभाषा मूल विनियमावली एवं पूरक नियमावली में की गई हो तो मूल नियमावली एवं पूरक नियमावली में नियत परिभाषाएँ ही क्रमशः मानी जाएगी ।

3. उक्त विनियम में स्पष्टीकरण के बाद, निम्नदर्शित प्रतिस्थापित होगा " विशेष आकस्मिक अवकाश के संयोजन का जहां तक संबंध है, भारत सरकार के सी सी एस छुट्टी नियमावली के नियम 11 के अधीन निर्णय लागू होगा " ।

4. उक्त विनियम के विनियम 10 में आगे दिए गए विनियम, विनियम 10 (क) के रूप में शामिल किया जाएगा :-

10 (क) छुट्टी पर रहते सेवा अथवा रोजगार की स्वीकृति :

(1) कर्मचारी जब सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी सहित छुट्टी पर हो, निम्नदर्शितों की पूर्व मंजूरी के बिना, लेखाकार परामर्शदाता अथवा कानूनी या चिकित्सक का हैसियत से किसी व्यवसायी के रूप में कहीं भी कोई सेवा या रोज़गार में नहीं जाएगा ।

क. बोर्ड, यदि प्रस्तावित सेवा अथवा रोजगार भारत के बाहर कहीं अन्यत्र हो, अथवा

ख. उसे नियुक्त करने का सक्षम प्राधिकारी, यदि प्रस्तावित सेवा अथवा रोजगार भारत में हो ।

(2) (क) कोई भी कर्मचारी जो सेवा निवृत्ति से पूर्व छुट्टी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की छुट्टी पर हो तो साधारणतया उसे अन्य सेवा या रोजगार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) यदि किसी विशिष्ट परिस्थिति पर ऐसी अनुमति वांछनीय समझी जाती है तो कर्मचारी को अपने मूल कार्यालय से उस कार्यालय को, जहां उसके सेवा या रोजगार करने की मंजूरी दी गई, अस्थाई तौर पर स्थानांतरित करना चाहिए अथवा उसे कोई अन्य सेवा या रोजगार प्राप्त करने से पूर्व त्यागपत्र देना चाहिए ।

(ग) यदि कोई कर्मचारी सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर है तो उसे निजी रोजगार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । परंतु उसे किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकार द्वारा नियंत्रित अथवा वित्त पोषित निकाय में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है ।

टिप्पणी : छुट्टी स्वीकृति आदेश में कर्मचारी के नाम अर्जित छुट्टी/अर्धवेतन छुट्टी की शेष छुट्टी दिया जाना चाहिए ।

5. विनियम 13 में आगे दिए गए उपबंधों को विनियम 13 (क) के रूप में शामिल किया जाएगा :

13 (क) कतिपय परिस्थितियों में छुट्टी स्वीकृत नहीं होगी :

सक्षम दंड प्राधिकारी यदि किसी कर्मचारी को बोर्ड की सेवा से पदच्युत करने, हटाने अथवा अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने का निर्णय करने पर छुट्टी स्वीकृत नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी : निलंबन के दौरान भी, निलंबनाधीन कर्मचारी छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी ।

6. उक्त विनियम के विनियम 17 के उप विनियम (1) और उसके शर्त की जगह निम्नलिखित अंश प्रतिस्थापित होंगे :

17 छुट्टी साथ अवकाश का संयोजन :

(i) कर्मचारी की छुट्टी (चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधारित छुट्टी के सिवाय अन्य छुट्टी) प्रारंभ होने के ठीक पूर्व, या उसकी छुट्टी समाप्त होने के ठीक बाद का वह दिन यदि अवकाश पडता है या कई अवकाशों में एक पडता है, तो कर्मचारी को उस अवकाश के पूर्व दिन कार्यालय बंद होने के बाद स्टेशन से प्रस्थान करने अथवा सार्वजनिक अवकाशों या साप्ताहिक अवकाशों की समाप्ति के बाद अगले दिन कार्यालय आने की अनुमति दी जा सकती है ।

बशर्ते कि :-

(क) उसके स्थानांतरण या कार्यभार संभालने में स्थाई अग्रिम के अलावा, प्रतिभूतिया नकद लेने-देने का कोई कार्य शामिल न हो ।

(ख) उसके शीघ्र प्रस्थान करने से उसके कार्य निभाने के लिए किसी अन्य स्टेशन से किसी कर्मचारी के तदनुरूप शीघ्र स्थानांतरण की आवश्यकता न पड़े, और

(ग) उसकी वापसी में देरी होने से, तदनुरूप उस कर्मचारी को जो उसकी अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का पालन कर रहा था अथवा उसके स्थान पर नियुक्त किसी अस्थायी कर्मचारी को अन्य स्टेशन पर स्थानांतरण या कार्यमुक्त करने में देर होने का संदर्भ न हो ।

(ii) चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर आधारित छुट्टी के संदर्भ में :

(क) यदि किसी कर्मचारी को चिकित्सा आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि उसका कार्यालय स्वास्थ्य में उपस्थित रहने योग्य नहीं है तो इस प्रकार प्रमाणित छुट्टी के पहले कोई अवकाश (अवकाशों)पडता है तो पूर्ववर्ती छुट्टी करने की अनुमति अपने-आप दी जाएगी और यदि प्रमाणित छुट्टी के बाद को अवकाश (अवकाशों) पड जाता है तो ऐसे अवकाश (अवकाशों) को (उस दिन को भी सम्मिलित करते हुऐ छुट्टी का भाग माना जाना चाहिए; और

(ख) जब कर्मचारी को चिकित्सा आधार पर उसे अपने कर्तव्य पर लौटने के लिए स्वस्थ प्रमाणित किया जाता है तो प्रमाणित दिन (उस दिन को भी सम्मिलित करके) के बाद कोई अवकाश (अवकाशों) पडता है तो उसे छुट्टी के बाद स्वतः शामिल करने होंगे और प्रमाणित उस छुट्टी के पूर्व कोई आते है तो अवकाश (अवकाशों) उस अवकाश को भी छुट्टी का भाग माना जाएगा ।

7. उक्त विनियम के विनियम 18 में उप विनियम (1) और (2) को निकाल दिया जाएगा ।

उप-विनियम (3) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगे :

यदि किसी कर्मचारी को उसकी छुट्टी की समाप्ति के पूर्व कर्तव्य पर वापस बुलाया जाता है तो इस प्रकार कर्तव्य पर वापस बुलाने के सभी मामलों को अनिवार्य माना जाएगा और कर्मचारी का यह अधिकार होगा कि :

(क) यदि वह छुट्टी जिससे उसे वापस बुलाया जाता है, भारत में हो तो वह उस तारीख से कर्तव्य पर समझा जाएगा जबसे वह स्टेशन के लिए अपनी यात्रा जिसके लिए उसे आदेश दिया गया है और वह निम्नलिखित के लिए के पात्र होंगे --

(i) इस संबंध किए गए नियमानुसार यात्रा भत्ता और

(ii) छुट्टी वेतन, जब तक वह अपने पद का कार्यभार न संभाल लेता हो तब तक का छुट्टी वेतन और वेतन वहीं होगा कि यदि उसे उस कार्य के लिए न बुलाने पर भी मिला रहता हों ।

(ख) यदि वापिस बुलाए जाने की छुट्टी के समय वह भारत के बाहर रहा हो तो, भारत तक समुद्री यात्रा के लिए लगने का समय कर्तव्यरत माना जाएगा की उसी आधार पर छुट्टी का हिसाब लगाया जाएगी और कर्मचारी यह प्राप्त करने का हकदार होगा :-

(i) छुट्टी वेतन समुद्री यात्रा में भारत आने और भारत में आगमन के समय से अपने पद का कार्यभार संभालने की तारीख तक, उसी दर में प्राप्त करेगा जो दर उसे कर्तव्य पर वापस बुलाने के पूर्व मिलता था ।

(ii) भारत तक की निःशुल्क यात्रा ।

(iii) भारत से यात्रा किराए की वापसी-यदि उसको वापस बुलाने पर, भारत के लिए प्रस्थान करने की तारीख तक उसकी अपनी छुट्टी की आधि अवधि पूरी न हाक अथवा तीन महीने, जो भी कम हो ;

(iv) भारत में उतरने की जगह से कर्तव्य स्थल तक की यात्रा के लिए फिलहाल लागू नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता ।

8. उक्त विनियम के विनियम 21 में आगे दिए गए उप विनियम 1 (क) के अधीन उप खंड (iv) के रुप में जोडा जाएगा ।

1. (vi) जब कोई कर्मचारी किसी नए पद पर कार्यभार संभालने से पूर्व उस उद्देश्य के लिए दी गई पूरी अवधि समाप्ति के पहले ही कार्य संभलने आता है, जिसके यों कारण हो --

(क) उसे नए स्थान पर नए पद का कार्यभार संभालने हेतु पात्र उस पूरी अवधि समाप्ति कि पहले ही कार्य संभालने का आदेश दिया गया हो,

अथवा

(ख) यदि कर्मचारी अपने नए कार्य-स्थल तक अकेला जाकर उस उद्देश्य के लिए उपलब्ध अवधि समाप्ति के पहले ही कार्यभार संभालता है और परिवार के लिए यात्रा भत्ता के दावा करने हेतु उस उद्देश्य के लिए स्वीकृत अवधि के अंदर ही अपने परिवार को ले जाता है तो केन्द्रीय सिविल सेवाओं (कार्यभार संभालने की अवधि) की नियमावली, 1979 के निसम 5 के उप नियम (4) के अनुसार कार्यभार संभालने के लिए अधिकतम 15 दिन स्वीकृत अवधि होगी बशर्ते कि कार्यभार संभालने के लिए वास्तविक रुप से लिए गए दिन को घटाकर शेष दिन उसकी छुट्टी लेखे में अर्जित छुट्टी के रुप में जमा कर दिए जाएंगे ।

शर्त यह भी है कि उसके छुट्टी लेखें में रही अर्जित छुट्टी तथा कार्यभार संभालने के संबंध में न ली गई छुट्टी जो जमा की जाती है, दोनों का जोड 240 दिन से अधिक न होनी चाहिए ।

2. विनियम 21 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के रुप में आगे दिया गया वाक्यांश शामिल किया जाएगा ।

"(ग) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, विदेश सेवा में बीति अवधि को कर्तव्य मानी जाएगी यदि उस सेवावधि संबंध में छुट्टी वेतन के लिए अंशदान का भुगतान किया गया हो " ।

3. विनियम 21 के उप विनियम (3) में शब्द "औरया कुछ अवधि की अनुपस्थिति को बकाय दिवस" माना जाएगा और शब्द को उस पहली पंक्ति में "असाधारण छुट्टी" एवं "पूर्व अर्ध वर्ष के दौरान" है, के बीच में शामिल किया जाएगा । शब्द "औरया आकाय दिवस" शब्द को चौथी पंक्ति में "असाधारण छुट्टी" एवं ली गई छुट्टी आते है, के बीच में शामिल किया जाएगा ।

4. उपरोक्त विनियम के विनियम 21 में उप विनियम (1) के वाक्य खंड (ख) में दर्शाते हुए शब्द एवं संख्या "180 दिन" को "240 दिन " पढा जाएगा ।

9. उपरोक्त विनियम के विनियम 22 में आगे दिए गए उक्त विनियमों को उप विनियम (4) एवं उप विनियम (5) के रुप में जोडा जाएगा :-

1. "(4) यदि कर्मचारी के निलंबनावधि की अनुपस्थिति को अर्ध वर्ष में अकाय दिवस माना गया है तो आगामी अर्ध वर्ष के प्रारंभ में उसके अर्ध वर्ष छुट्टी खाते के नामे जमा होगा, जो अकाय दिवस अवधि के 1/18 भाग कम कर दिया जाएगा बशर्ते कि अधिकतम 10 दिन होगा ।

2. "(5) जब छुट्टी को अर्ध वेतन छुट्टी रकते के नामे जोडा जाता है तो दिन के अपूर्ण भाग को निकटतम दिन में पूर्ण (राउंड आफ) कर दिया जाएगा ।

10. उपरोक्त विनियम के विनियम 23- उप विनियम (1) के वाक्य खंड (ग) को निकाल दिया जाएगा ।

11. विनियम 24 में आगे दिए गया भाग प्रतिस्थापित होगा :

"24 छुटिटयां जो देय नहीं है: (1) सेवा निवृत्ति से पूर्व छुट्टी की बचत का जहां तक सवाल है स्थायी कर्मचारी को छुट्टी चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर उसकी पूर्ण सेवावधि में अधिकतम 360 दिन की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है जो निम्न शर्तों के अनुसार हो :

(क) छुट्टी स्वीकृत करनेवाले सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि कर्मचारी की छुट्टी के बीत जाने के बाद काम पर वापस आना आवश्यक है ।

(ख) अदेय छुट्टी को, बाद छुट्टी अर्जित करने संभाव्य उसकी अर्ध-वेतन छुट्टी तक सीमित की जाएगी ।

(ग) अदेय छुट्टी उसकी अध वेतन छुट्टी के नामे डाली जाएगी जो एक कर्मचारी बाद में अर्जित कर सकेगा ।

(2) अदेय छुट्टी अस्थायी कर्मचारियों को स्वीकृत की जा सकती है जो क्षय रोग कुष्ठ रोग, कैन्सर अथवा मानसिक बीमारी से पीडित हैं और इस प्रकार की छुट्टी पूरे सेवा काल में उप विनियम (1) के वाक्य खंड (क), (ख) और (ग) में दी गई शर्तों को पूरा करने पर 360 दिन की अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए और इस संबंध में आगे दी गई शर्तों भी लागू होंगी अर्थात् -

(i) कि कर्मचारी ने कम से कम एक वर्ष की सेवा की हो ।

(ii) कि कर्मचारी जिस पद से छुट्टी पर जाता है, वह पद उसके कर्तव्य पर वापिस आने तक बने रहने की संभावना है, और

(iii) कि ऐसी छुट्टी के आवेदन पत्र के साथ समर्थन हेतु कि विनियम 25 के उप-विनियम 2 के वाक्य खंड (ग) और (घ) में बताए जाने के अनुसार चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाता हो ।

3 (क) यदि वह कर्मचारी जिसे अदेय छुट्टी स्वीकृत की गई है त्याग पत्र देता है अथवा उसे अपनी स्वेच्छा से कर्मव्य पर वापिस आने के पूर्व ही सेवा निवृत्त होने के लिए अनुमति दी जाती है तो उसकी अदेय छुट्टी रद्द कर दी जाएगी और उसके त्याग-पत्र अथवा सेवा-निवृत्त की तारीख उस दिन से प्रभावी होगा जिस दिन से वैसी छुट्टी प्रारंभ हुई थी और छुट्टी वेतन वसूल कर दिया जाएगा ।

(ख) यदि कोई कर्मचारी, अदेय छुट्टी का लाभ उठाकर कर्तव्य पर वापस आता है परंतु वह ऐसी छुट्टी अर्जित करने से पूर्व सेवा से त्यागपत्र देता है अथवा सेवा-निवृत्त हो जाता है तो उसे उस सीमा तक छुट्टी वेतन अदा करना होगा जो बाद में भी उससे अर्जित न होता हो ।

(1) बशर्ते कि वाक्य खंड (क) और वाक्य खंड (ख) के अंतर्गत छुट्टी वेतन की वसूली नहीं की जाएगी यदि कर्मचारी बीमारी के कारण और सेवा के लिए अक्षम पाने के फलस्वरुप ऐसे त्यागपत्र देना हो अथवा उसकी मृत्यु हुई हो ।

(2) बशर्ते कि वाक्य खंड (क) अथवा वाक्य खंड (ख) के अंतर्गत छुट्टी वेतन की वसूली नहीं की जाएगी, यदि नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारियों (सेवा-निवृत्ति) की विनियम 1980 के विनियम 5 के अंतर्गत कर्मचारी अनिवार्य तया पत्तन की सेवा से समयपूर्व निवृत्त होता है ।

12. उक्त विनियम की विनियम संख्या 25 में उप-विनियम (1) से (6) में निम्नलिखित अश प्रतिस्थापित होगा :

"25 असाधारण छुट्टी :

(1) विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी को असाधारण छुट्टी दी जा सकती है :
(क) जब किसी अन्य प्रकार की छुट्टी स्वीकार्य न हो,
(ख) जब अन्य छुट्टी स्वीकार्य हो परंतु पत्तन का कर्मचारी असाधारण छुट्टी की स्वीकृति के लिए लिखित रुप में आवेदन करें।

2. रोगी की विशिष्ट परिस्थितियों के विचार से बोर्ड जब तक यह निश्चित न करे तो किसी भी कर्मचारी को जो स्थायी पद पर काम नहीं कर रहा है, एक बार में असाधारण छुट्टी नहीं दी जाएगी जो निम्नलिखित शर्तों के अनुसार दी गई छुट्टी से अधिक न हो :-

(क) तीन महीने

(ख) छः माह तक, यदि कर्मचारी ने इस विनियम के अंतर्गत स्वीकार्य और देय छुट्टी क बीत जाने की तारीख पर एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो जिसमें वाक्य खंड (क) के अधीन तीन महीने की असाधारण छुट्टी भी शामिल की गई है और छुट्टी के लिए उसके आवेदन-पत्र के साथ समर्थन हेतु चिकित्सा प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाता है जो कि इन विनियमें के अनुसार आवश्यक है ।

(ग) अठारह महीने, यदि कर्मचारी जिसने एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो और आगे दी गई बिमारियों का इलाज करा रहा हो,

(i) फुप्फुस क्षय रोग, (फर्मनरी टूबरकुलोसिसि) अथवा गिल्टीदार मूल की प्लूरिसी (प्लेरुसी आफ टूबरकुलार ओरिजिन) किसी मान्यता प्राप्त सेनेटोरियम में उपचार किया जा रहा हो ,

टिप्पणी : अठारह महीने तक असाधारण छुट्टी की रियायत उस कर्मचारी को भी अनुमति होगी जो फुप्फुस क्षय रोग या गिल्टीदार मूल की फ्लूरिसी रोग से पीडित है तथा अपने ही आवास पर उस क्षय रोग विशेषज्ञ से

उपचार करा रहा है जिसे राज्य प्रशासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता मिली है और इस बारे में रोगी अपने उपचार कराने वाले विशेषज्ञ से हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि वह उसके उपचार में है और सिफारिश की गई छुट्टी के बीत जाने पर उसके स्वस्थ होने के तकसम्मत आसार है ।

(ii) शरीर के किसी अंग को टी.बी. का इलाज किसी योग्यता प्राप्त क्षय रोग के विशेषज्ञ या सिविल सर्जन या स्टॉफ सर्जन से करवा रहा हो, या

(iii)कुष्ठ रोग का इलाज किसी मान्यता प्राप्त संस्था या किसी सिविल सर्जन या किसी स्टॉफ सर्जन या संबंधित राज्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त कुष्ठ रोग चिकित्सालय के विशेषज्ञ से करवा रहा हो ।

(iv) केन्सर अथवा मानसिक रोग किसी ऐसी संस्था में दिया जा रहा हो जो इस प्रकार के रोग के उपचार के लिए मान्यता प्राप्त है, अथवा सिविल सर्जन अथवा स्टॉफ सर्जन अथवा ऐसे रोग विशेषज्ञ द्वारा उपचार किया जा रहा हो ।

(घ) 24 मीने तक, यदि असाधारण छुट्टी किसी ऐसे पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए जिसे लोकहित में प्रमाणित किया गया है, बशर्ते संबंधित कर्मचारी ने इस प्रकार की देय छुट्टी और इन विनियमों के अधीन स्वीकार्य छुट्टी के समाप्त हो जाने पर लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है जिसमें वाक्य खंड (क) के अंतर्गत 3 महीने की असाधारण छुट्टी मिला ली गई है ।

3 (क) यदि किसी कर्मचारी को उप विनियम (2) के वाक्य खंड (ङ) में दिए गए उपबंधों को शिथिल करके असाधारण छुट्टी की स्वीकृति दी जाती है तो उस प्रपत्र संख्या 6 में एक बॉंड निष्पादित करना होगा जिसमें यह वचन दिया जाएगा कि वह इस अवधि में बोर्ड द्वारा किए गए तथा किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किए गए वास्तविक व्यय और उस पर देय ब्याज की राशि सहित कुल राशि लौटाएगा यदि वह इस छुट्टी के बाद अपने कर्तव्य पर वापस न आए अथवा अपने कर्तव्य पर वापस आने के बाद तीन वर्षों की अवधि से पूर्व अपना सेवा को छोड दें ।

(ख) इस बॉंड का समर्थन उन दो जमानतियों अर्थात् दो स्थायी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा जो तुलनात्मक रुप से प्रार्थी के समकक्ष पद या उच्चतर पद पर काम करते हों ।

4. विभागाध्यक्ष असाधारण छुट्टी अनुसचित जाति या अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित कर्मचारियों को उप विनियम (2) के उपबंधों को शिथिल करते हुए पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में समय-समय पर कोई बोर्ड द्वारा अधिसूचित केन्द्रों पर उपस्थित होने के लिए स्वीकृत कर सकते हैं ।

5. यदि दो असाधारण छुटिट्यों की अवधियों के बीच किसी अन्य प्रकार की छुट्टी हो तो उप-विनियम (2) के प्रयोजनों के लिए यह लगातार असाधारण छुट्टी की अवधि मानी जाएगी ।

6. छुट्टी स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी बिना छुट्टी की अनुपस्थिति की अवधियां पूर्वापेक्षी प्रभाव से असाधारण छुट्टी में परिवर्तित कर सकता है ।

13. पूर्वोक्त विनियमों के उप-विनियम 26 में उप-विनियम 3 के अंतर्गत आगे दी गई टिप्पणी जोड़ दी जाएगी ।

टिप्पणी: नव मंगलू पत्तन न्यास में किसी कर्मचारी के अपने प्रशिक्षु नियुक्त होने की तारीख से जमा छुट्टी व्ययगत नहीं होगी । परंतु कर्मचारी को नव मंगलूर पत्तन न्यास में प्रशिक्षु की अवधि समाप्त होते ही किसी पद पर नियुक्ति हो जाने पर जमा छुट्टी का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकेगी ।

14. पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 28 में आंकडे और शब्द "180 दिन" के स्थान पर "240 दिन" कर लिए जाएंगे ।

15. पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 29 के स्थान पर आगे दिए गए विनियम को लिखा जाए :

"29 छुट्टी के एवज में छुट्टी/नकद भुगतान - सेवा निवृत्ति की तारीख या त्याग से भरे ।

(1) किसी कर्मचारी को इसके परे छुट्टी स्वीकृत नहीं होगी :-

(क) उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख, या

(ख) उसके अंतिम रुप से कर्तव्य समाप्ति की तारीख, या

(ग) उस तारीख को जब वह बोर्ड को सूचना देकर सेवा-निवृत्त होता है या वह बोर्ड द्वारा सूचना या इस प्रकार की सूचना के एवज में उसकी सेवा के निबंधन और शर्तों के अनुसार वेतन एवं भत्ता देकर सेवा निवृत्त किया जाता है, या

(घ) उसके सेवा से त्यागपत्र की तारीख ।

(2) (क) यदि कोई कर्मचारी सेवा के शासी निबंधन एवं शर्तों के अधीन निर्धारित सामान्य आयु को प्राप्त करके सेवा निवृत्त होता है तो छुट्टी स्वीकृत करनेवाला सक्षम प्राधिकारी आदर्श रुप (सुओ मोटो) में एक आदेश जारी करके उसे उसके अर्जित वेतन के लिए छुट्टी-वेतन के बराबर नकद भुगतान स्वीकृत करेगा यदि कर्मचारी की छुट्टी लेखा में उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख पर कोई छुट्टी है जो अधिकतम 240 दिन रखी गई है ।

(ख) वाक्य खंड (क) के अधीन समतुल्य नकदी की संगणना आगे दिए गए रुप में होगी और एक बार के समझौते के रुप में एक मुश्त देय होगी । कोई गृह किराया भत्ता या नगर क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा :-

$$\text{नकद समतुल्य} = \frac{\text{सेवा निवृत्ति की तारीख को स्वीकार्य वेतन + उस तारीख को स्वीकार्य महँगाई भत्ता}}{30} \times \text{सेवा निवृत्ति की तारीख को बिना उपयोग की गई उसके नाम जमा अर्जित छुटि्टयों के समतुल्य नकद के दिनों की सं. जो अधिकतम 240 दिन रखी गई है}$$

(3) छुट्टी स्वीकृत करनेवाला सक्षम प्राधिकारी किसी कर्मचारी का उस स्थिति में अर्जित छुट्टी के समतुल्य संपूर्ण तथा आंशिक नकदी रोक कर रख सकेगा यदि कर्मचारी सेवा-निवृत्ति की आयु को प्राप्त करके सेवा से सेवा निवृत्त होता है । यदि वह निलंबन के अधीन है या उसके खिलाफ अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाही लंबित है, यदि प्राधिकारी ऐसा महसूस करे कि कार्यवाही का निष्कर्ष उसके खिलाफ होने पर उससे कुछ राशि की वसूली की जानी संभावना है । कार्यवाही के निष्कर्ष पर वह इस प्रकार रोक कर रखी गई, राशि के लिए बोर्ड की शेष राशियों के समायोजन के पश्चात् पात्र हो जाएगा, यदि कोई हो ।

(4) (क) यदि किसी कर्मचारी की सेवा उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से परे लोक सेवा के हित में बढा दी गई हो तो उसके लिए स्वीकार्य होगा :-

(i) छुट्टी वृद्धि की अवधि के दौरान यदि इस प्रकार की वृद्धि की अवधि के संबंध में कोई अर्जित छुट्टी बकाया है और वह अर्जित छुट्टी जो उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख को उसने छुट्टी लेखा में जमा थी, शामिल करके अधिकतम 120 दिन/240 दिन की होगी, जैसी भी स्थिति हो ।

(ii) छुट्टी वृद्धि की अवधि की समाप्ति के पश्चात् सेवा-निवृत्ति की तारीख को छुट्टी लेखा में जमा अर्जित छुट्टी के संबंध में उप विनियम (2) में दिए गए ढंग से समतुल्य नकदी हेतु छुट्टी की अवधि की वृद्धि के दौरान अर्जित की गई अर्जित छुट्टी को शामिल करके उसमें से ऐसी अवधि के दौरान लाभ उठाई गई अर्जित छुट्टीयों को घटा दिया जाएगा जो अधिकतम 240 दिन तक है ।

(ख) इस उप-विनियम के वाक्य खंड (क) के उप वाक्य खंड (ii) के अधीन समतुल्य नकदी की संगणना उपरोक्त उप-विनियम (2) के वाक्य खंड (ख) में संकेतित तारीख से की जाएगी ।

5. यदि कोई कर्मचारी उप विनियम (1) के वाक्य खंड (ग) में विनिर्दिष्ट तरीके से सेवा से निवृत्त होता है या सेवा निवृत्त किया जाता है, छुट्टी स्वीकृत करनेवाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदर्श तरीके (सुयो मोटो) से उसके छुट्टी लेखा में जमा अर्जित छुटिट्यों के संबंध में, जो कि अधिकतम 240 दिन के अधीन हैं छुट्टी वेतन के समतुल्य नकदी स्वीकृत कर सकता है तथा उसके खाते में जमा समस्त अर्ध-वेतन छुटिट्यों के संबंध में भी, बशर्ते कि यह अवधि उस अवधि से अधिक न हो, जिस तारीख को वह इस प्रकार सेवा में सेवा निवृत्त होता है या किया जाता है और उस तारीख को जब वह अपनी सेवा के शासी निबंधक और शर्तों के अधीन सेवा निवृत्ति हेतु निर्धारित आयु को प्राप्त करने के पश्चात् सामान्य तौर पर सेवा निवृत्त होता, के बीच की है । समतुल्य नकदी छुट्टी वेतन के बराबर होगी जैसा कि अर्जित छुटिट्यों के लिए स्वीकार्य है औरया छुट्टी वेतन के बराबर जैसा कि अर्जित छुट्टी के लिए स्वीकार्य है, में उसी दर से प्रथम 240 दिनों के लिए छुट्टी वेतन पर स्वीकार्य महँगाई भत्ते को जोड दिया जाएगा जो उस तारीख को लागू है जिस दिन कर्मचारी इस प्रकार सेवा से निवृत्त होता है या सेवा निवृत्त किया जाता है । पेंशन पर पेंशन एवं दूसरी सेवा निवृत्ति के समतुल्य लाभों एवं मदर्थ राहत/श्रेणी-राहत को छुट्टी वेतन से काट लिया जाएगा जो अर्ध-वेतन छुट्टी

की अवधि के लिए भुगतान की गई, यदि कोई है और जिसके लिए समतुल्य राशि देय है/इस प्रकार संभावित राशि का एक बार के समझौते के रूप में एक मुश्त भुगतान किया जाएगा । कोई गृह किराया भत्ता या नगर क्षतिपूर्ति भत्ता देय नहीं होगा ।

यह शर्त है कि यदि अर्ध-वेतन छुट्टी संघटक के लिए छुट्टी वेतन उस राशि से कम पड़ता है जो पेंशन एवं अन्य पेशनगत लाभों से संबंधित हो तो ऐसी स्थिति में अर्ध-वेतन छुट्टी के समतुल्य राशि स्वीकृत नहीं की जाएगी ।

(5) (क) यदि किसी कर्मचारी को दंड स्वरूप नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारियों (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) की विनियमावली, 1980 के उपबंधों के अधीन अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिया गया है तथा अनुशासनिक प्राधिकरण ने उसकी पेंशन राशि (उपदान सहित) में कोई कटौती नहीं की गई है तो छुट्टी स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी सेंट्रल सिविल सर्विसस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 40 के अधीन आदर्श रूप (सुयो मोटो) में एक आदेश जारी करके अर्जित छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन के बराबर राशि स्वीकृत करेगा । यदि इस प्रकार की सेवा निवृत्ति की तारीख को कर्मधारी के छुट्टी लेखा में कोई छुट्टी गया है जो विनियम 29 के उप विनियम 2(ख) में संकेतित तरीकों में अधिकतम 240 दिन हो सकती है ।

(6) (क) (i) यदि किसी कर्मचारी की सेवाएं सूचना द्वारा या सूचना के एवज में वेतन एवं भत्ते के भुगतान द्वारा या अन्यथा उसकी नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समाप्त कर दी गई है तो छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदर्श रूप (सुयो मोटो) में उसकी अर्जित छुट्टी के संबंध में समतुल्य राशि स्वीकृत की जा सकती है जो सेवा समाप्ति की तारीख को उसके छुट्टी लेखा में जमा हो, वह छुट्टी अधिकतम 240 दिन हो सकती है ।

(ii) यदि कोई कर्मचारी त्याग पत्र देता है या सेवा त्याग करता है तो ऐसी स्थिति में छुट्टी स्वीकृत करनेवाले सक्षम अधिकारी द्वारा आदर्श रूप (सुयो मोटो) में उसकी सेवा समाप्ति की तारीख को उसके छुट्टी लेखे में जमा अर्जित छुटिट्यों के संबंध में समतुल्य राशि स्वीकृत कर सकेगा, उसके छुट्टी लेखा में जमा इस प्रकार की छुटिट्यों की आधी सीमा तक होगी जो अधिकतम 120 दिन हो सकती है ।

(iii) यदि कोई कर्मचारी जो सेवा-निवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त हुआ है, उसकी पुनर्नियुक्ति की समाप्ति की स्थिति में छुट्टी स्वीकृत करनेवाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदर्श रूप (सुयो मोटो) में उसकी पुनर्नियुक्ति की समाप्ति की तारीख को उसके छुट्टी लेखा में जमा अर्जित छुटिट्यों के संबंध में समतुल्य राशि स्वीकृत करेगा जो अधिकतम 240 दिन हो सकती है (सेवा निवृत्ति के समय जिस अवधि के लिए नकदीकरण की अनुमति दी गई थी, को शामिल करके)

(स) वाक्य खंड (क) के अधीन देय समतुल्य राशि को उप विनियम (2) के वाक्य खंड (स) में संकेतित तरीके के संगणित किया जाएगा, तथा वाक्य खंड (क) के उप वाक्य खंड (iii) के अधीन समतुल्य राशि को पुनर्नियुक्ति वाले पद के वेतनमान में पेंशन एवं दूसरी सेवा-निवृत्ति की समतुल्य पेंशन के लाभों एवं भत्ते को उपयुक्त वेतन में समायोजन से पूर्व नियत किया जाएगा ।

16 (1) उपरोक्त विनियमों के विनियम 30 के स्थान पर आगे दिया गया विनियम रखा जाएगा

"30. सेवा काल में कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद भुगतान

अगर किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके छुट्टी लेखा में उसकी मृत्यु के दिन जमा शेष अर्जित छुट्टी अधिकतम 240 दिन के लिए छुट्टी वेतन के बराबर राशि उसके परिवार को विनियम 30 दग में विनिर्दिष्ट तरीके से मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति के उपदान के समतुल्य पेंशन की राशि को कम किए बगैर भुगतान कर देना चाहिए ।

टिप्पणी: इस विनियम के अधीन स्वीकार्य छुट्टी वेतन के बराबर नकद भुगतान के अतिरिक्त मृत कर्मचारी का परिवार केवल इस बाबत अलग से जारी आदेशों के अनुसार महँगाई भत्ते का भुगतान पाने का अधिकार होगा ।

पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 30 में आगे दिया गया विनियम, विनियम 30 (क) के रूप में सम्मिलित किया जाएगा :

" 30 (क) अर्जित छुट्टी का नवीकरण ":

(i) प्रत्येक कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में उसकी छुट्टी लेखा में जमा अर्जित छुट्टी को 50 प्रतिशत नकदीकरण की अनुमति होगी किन्तु उस कार्य के अधीन उसके उस कैलेंडर वर्ष के दौरान सात दिन से कम/अधिक अर्जित छुट्टी का लाभ इस प्रकार के नकदीकरण से पूर्व या एक ही समय पर न उठाया गया हो ।

(ii) नवीकृत अर्जित छुट्टी को कर्मचारी के अर्जित छुट्टी लेखा से घटा दिया जाएगा यदि उसने वास्तव में उसका लाभ उठाया है ।

(iii)ऐसे मामले में जब कोई कर्मचारी नकदीकरण के साथ-साथ अर्जित छुट्टी का लाभ भी उठा रहा है तो ऐसी स्थिति में अर्जित छुट्टी जिसका वास्तविक रूप से नकदीकरण हो चुका है वह नव मंगलूर पत्तन न्यास (छुट्टी) विनियमावली 1980 के अधीन कर्मचारी को एक समय में स्वीकार्य अधिकतम अर्जित छुट्टी 120 दिन से अधिक नहीं हो जानी चाहिए ।

(iv) इस प्रकार के नकदीकरण की राशि उस वेतन एवं भत्ते के रूप में होगी जिसके लिए कर्मचारी वास्तविक रूप से पात्र होता यदि वह छुट्टी पर गया होता और यह उसे अग्रिम में दी जाएगी ।

(v) ऐसे कर्मचारी के मामलों में जो सेवा निवृत्ति के करीब है, ऐसी स्थिति में नकदीकरण की तिथि और सेवा-निवृत्ति की तिथि के बीच उपलब्ध सेवा की अवधि नकदीकृत दिनों की वास्तविक संख्या से कम नहीं होगी ।

(vi)छुट्टी के एवज में भुगतान की गई राशि को किसी भी प्रयोजन के लिए परिलब्धियों के रुप में नहीं गिना जाएगा । इस राशि की भविष्य निधि अंशदान, ऋण, अग्रिम आदि के संबंध में वसूली भी नहीं की जाएगी ।

(vii)वे कर्मचारी जो विदेशी सेवा निबंधनों पर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य पत्तन में प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे इन विनियमों के लाभों के लिए भी पात्र होंगे, इसका समग्र दायित्व नव मंगलूर पत्तन न्यास द्वारा वहन किया जा रहा है ।

3. पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 30 में आगे दिया गया विनियम, विनियम 30 (स) के रुप में समाविष्ट कर लिया जाएगा :-

" 30 (स) सेवा से निर्योग्य होने की स्थिति में छुट्टी वेतन के बराबर नकद भुगतान:

यदि कोई कर्मचारी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा पूर्णरुपेण एवं स्थाई तौर पर आगे की सेवा के लिए अक्षम घोषित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आदर्श रुप (सुयो मोटो) में सेवा से उसकी निर्योग्यता की तारीख को उसकी बकाया एवं स्वीकार्य छुटिट्यों के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद भुगतान स्वीकृत किया जा सकेगा, शर्त यह है कि छुट्टी जिसके लिए उसे समान नकद भुगतान स्वीकृत किया गया है, वह उस तारीख से परे न बढती हो जब वह अपनी सेवा के शासी निबंधनों और शर्तों के अधीन सेवा-निवृत्ति के लिए निर्धारित आयु को प्राप्त करने के पश्चात् सामान्य दशा में सेवा निवृत्त होगा । इस प्रकार देय समान राशि छुट्टी वेतन के बराबर होगी जैसा कि विनियम 29 के उप विनियम (5) के अधीन संगणीत है । वह कर्मचारी जो स्थायी कर्मचारी नहीं है, उसकी सेवा से निर्योग्यता की तारीख को उसके खाते में जमा बकाया अर्ध वेतन छुट्टी के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा ।

4. पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 30 में आगे दिए गए विनियम को विनियम 30 (ग) के रुप में समाविष्ट किया जाएगा :-

" 30 (ग) कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में छुट्टी के समतुल्य नकदी का भुगतान:

यदि सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या सेवा निवृत्ति के पश्चात् या कर्तव्य के अंतिम रुप में छोडने के पश्चात् किंतु विनियम 30, 30(क) और 30 (स) के अधीन देय छुट्टी वेतन के बराबर नकद भुगतान की वास्तविक प्राप्ति से पूर्व हो तो ऐसी राशि देय होगी :-

(i) यदि मृतक पुरुष कर्मचारी था तो उसकी विधवा को और यदि उसकी एक से अधिक विधवाएँ हो तो सबसे बडी जीवित विधवा को भुगतान किया जाएगा । यदि मृत महिला कर्मचारी थी तो उसके पति को भुगतान किया जाएगा ।

टिप्पणी: इस अभिव्यक्ति में "सबसे बडी जीवित विधवा " का अर्थ संदर्भ के साथ लगाया जाएगा जो जीवित विधवाओं की शादि की तारीख के अनुसार होगा और न कि उनकी आयु के संदर्भ के साथ इसका अभिप्राय होगा ।

(ii) विधवा या विधुर के न होने की स्थिति में मामले के अनुसार सबसे बडे जीवित पुत्र, या दत्तक पुत्र को,

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) के न होने के स्थिति में सबसे बडी जीवित अविवाहित पुत्री को,

(iv) उपरोक्त (i) और (iii) के न होने की स्थिति में सबसे बडी जीवित विधवा पुत्री को,

(v) उपरोक्त (i) और (iv) के न होने की स्थिति में पिता को,

(vi) उपरोक्त (i) और (v) के न होने की स्थिति में मां को,

(vii) उपरोक्त (i) और (vi) के न होने की स्थिति में सबसे बडे जीवित भाई को, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो ,

(viii) उपरोक्त (i) से (vii) के न होने की स्थिति में सबसे बडी अविवाहित बहन को, और

(ix) उपरोक्त के न होने की स्थिति में सबसे बडी जीवित विधवा बहन को ।

17. उपरोक्त विनियमों के विनियम संख्या 31 को निकाल दिया जाएगा ।

18. उपरोक्त विनियमों के विनियम 32, उप-विनियम 7 (ख) के नीचे स्पष्टीकरण (i) और (ii) को निकाल दिया जाएगा । विनियम के उप-विनियम (i) के अंतर्गत आगे दी गई टिप्पणी को निःशेषित किया जाएगा ।

टिप्पणी । भारत के बाहर विदेशी सेवा पर व्यतीत किसी अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन की संगणना करते समय भारत से बाहर विदेशी सेवा के लिए आहारित किए गए वास्तविक वेतन के स्थान पर उस वेतन को रखा जाएगा जो वह कर्मचारी भारत में सेवा में रहते हुए आहारित करता ।

19. पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 36 के स्थान पर आगे दिया गया विनियम रखा जाएगा ।

<u>36 प्रसूती छुट्टी ।</u>

(1) ऐसी महिला कर्मचारी (प्रशिक्षु सहित) को जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों, छुट्टी स्वीकृत करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके प्रारंभ होने की तारीख से 90 दिन तक की प्रसूति छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है ।

(2) इस प्रकार की अवधि के दौरान उसको छुट्टी पर जाने के पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर वेतन का भुगतान किया जाएगा ।

टिप्पणी । ऐसे कर्मचारी के मामले में जिन पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) लागू होता है तो इस नियमों के अधीन भुगतान किए जाने वाले छुट्टी वेतन से पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन समान अवधि के लिए मिलने वाले लाभ की राशि से घटा दिया जाएगा ।

(3) महिला कर्मचारी (भले ही उसके कितने भी जीवित बच्चे हो) को असफल गर्भस्राव (गर्भपात को शामिल करके) के मामले में विनियम 14 के अनुसार चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर छुट्टी, जो 6 सप्ताह से अधिक न हो, भी स्वीकृत की जा सकती है ।

(4) (क) प्रसूति छुट्टी का अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ संयोजन किया जा सकेगा ।

(स) विनियम (23) और विनियम 24 के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना वांछित होने के बावजूद इस प्रकार की बकाया एवं स्वीकार्य छुट्टी (60 दिन तक की परिवर्तित छुट्टी एवं अदेय छुट्टी को सम्मिलित करते हुए) बिना चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए उप विनियम (1) के अधीन प्रसूति छुट्टी के क्रम में अधिकतम एक वर्ष तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है यदि इसके लिए आवेदन किया गया है ।

(5) प्रसूति छुट्टी को छुट्टी लेखे में संगणित नहीं किया जाएगा ।

(6) संभावित गर्भपात के लिए कोई प्रसूति छुट्टी देय नहीं है ।

विनियम के आगे दिया गया स्पष्टीकरण संख्या (1) होगा और इसके बाद स्पष्टीकरण संख्या (2) समाविष्ट किया जाएगा :-

स्पष्टीकरण 2 । यह स्पष्ट किया जाता है कि 'गर्भपात' के अंतर्गत 'संभावित गर्भपात' सम्मिलित नहीं है और 'संभावित गर्भपात' के मामले में प्रसूति छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती ।

20. पूर्वोक्त विनियमों में विनियम 38 में उप विनियम (1) आगे दिए गए विनियम के रूप में रखा जाएगा :-

(1) छुट्टी स्वीकृत करनेवाला सक्षम प्राधिकारी वर्ग III और IV के कर्मचारियों को चिकित्सालय छुट्टी स्वीकृत कर सकता है । इन कर्मचारियों के कर्तव्यों में खतरनाक मशीनों के चलाने, विस्फोटक पदार्थों, विषैली दवाइयों और इसी प्रकार की अन्य सामग्रियों को काम में लाना निहित है अथवा जोखिमभरे कार्यों का संपादन शामिल है, जबकि चिकित्सालय या अन्य अन्यथा स्थान में चिकित्सा उपचार किया जाता हो जो ऐसी बीमारी या चोट के लिए है यदि उनके सरकारी कर्तव्यों के दौरान उठाई गई जोखिमों के कारण ऐसी कर्मचारी या चोट प्रत्यक्ष रूप से लगी है ।

21. पूर्वोक्त विनियम के विनियम 40 को निकाल दिया जाएगा ।

22. पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 41, उप-विनियम (5) के स्थान पर आगे दिया गया विनियम रखा जाएगा :-

"5 अध्ययन छुट्टी किसी कर्मचारी को दी जा सकेगी -

(i) जिसने संतोषजनक ढंग से अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली है तथा पत्तन न्यास बोर्ड के अधीन परिवीक्षा की अवधि को शामिल करते हुए लगातार पाँच वर्ष की नियमित सेवा से कम सेवा न की हो ।

(ii) जो बोर्ड की सेवा से तीन वर्ष की अवधि में छुट्टी के बीत जाने के बाद जिस तारीख से उसके वापस आने की आज्ञा की जाती है, अधिवर्षिता की आयु तक नहीं पहुँच पायेगा, और

(iii) जो विनियम 44(4) में दिए गए उपबंधों के अनुसार एक बांड निष्पादित करता है और यह वचन देता है कि वह छुट्टी बीत जाने के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए पत्तन न्यास बोर्ड की सेवा में बना रहेगा ।

23. पूर्वोक्त विनियम के विनियम 47 में शब्द "(महंगाई भत्ता के सिवाय भत्ते के बिना)" जो उप विनियम (1) के कोष्ठक में आते हैं, को निकाल दिया जाएगा । शब्द "और महंगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता" अंत में जोड़ दिए जाएंगे ।

उप विनियम 2(क) में शब्द महंगाई भत्ते के सिवाय भत्ते बिना" जो कोष्ठकों में आते है, निकाल दिए जाएंगे । शब्द "विनियम 51 के उपबंधों के अनुसार स्वीकार्य महंगाई भत्ता तथा मकान किराया भत्ता को शामिल करके" अंत में जोड़ दिए जाएंगे ।

24. पूर्वोक्त विनियम के विनियम 48 में शब्द "कर्मचारी " जो उप विनियम (4) के वाक्य खंड (क) के शब्द "के निदेश " और "या" के बीच में आते हो तो उन्हें " बोर्ड" पढ़ा जाएगा ।

25. पूर्वोक्त विनियम के विनियम 51 के स्थान पर इस प्रकार रखा जाएगा :-

51 अध्ययन भत्ता के अलावा भत्ते की स्वीकार्यता :

(1) अध्ययन छुट्टी के प्रथम 120 दिनों के लिए मकान किराया भत्ता उन्हीं दरों पर दिया जाएगा जो कर्मचारी को समय-समय पर उस स्थान पर दिया गया था जहां से अध्ययन छुट्टी के लिए प्रस्थान किया । 120 दिन से परे मकान किराया भत्ते के भुगतान के क्रम को उस प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत किए जाने के अधीन, होगा जिसे बोर्ड ने समय-समय पर निर्धारित किया है ।

(2) उप नियम (1) के अंतर्गत स्वीकार्य मकान किराया भत्ता के सिवाय और महंगाई भत्ता तथा अध्ययन भत्ता, जहां भी स्वीकार्य हो, के सिवाय कोई अन्य भत्ता कर्मचारी को स्वीकृत की गई अध्ययन छुट्टी की अवधि के संबंध में अदा नहीं किया जाएगा ।

26. पूर्वोक्त विनियम के विनियम 54 और उप विनियम (1) में शब्द "अथवा अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करने में असफल रहता है और इस प्रकार विनियम 44 के उप-विनियम 5 के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने में असमर्थ है " को शब्द "कर्तव्य पर ऐसी वापसी " और उसे अदा करने की आवश्यकता होगी " के बीच में निवेशित किए जाएं ।

उप विनियम (1) के अंतर्गत परंतुक में शब्द "ऐसे कर्मचारियों के मामले के सिवाय जो अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करने में असफल रहते हैं " शब्द "शर्त यह है कि " और "कुछ नहीं " के बीच में निवेशित किए जाएंगे ।

*मुख्य विनियमावली
जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय, (परिवहन पक्ष/विंग), अधिसूचना सं० एस आर 149 (अ) दिनांक 28 मार्च 1980. द्वारा राजकीय पत्र में प्रकाशित हुई ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 1997

G.S.R. 699(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of 132 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust Employees (Leave) Amendment Regulations, 1997 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Offical Gazette.

New Mangalore Port Trust Employees (Leave) Amendment Regulations, 1997

In exercise of the powers conferred by Sec. 28 of the Major Port Trust Act 1963 (38 of 1963) the New Mangalore Port Trust Board hereby makes, subject to approval of the Central Government under Sec. 124 of the above Act, the following Regulations to amend the New Mangalore Port Employees (Leave) Regulations 1980 namely :-

1. 1) These Regulations may be called the New Mangalore Port Trust Employees (Leave) Amendment Regulations, 1997.

2) They shall come into force on thedate of publication in the official Gazette.

2. In the New Mangalore Port Employees (Leave) Regulations 1980 (hereinafter referred as the said regulations) in Regulations 3, the following shall be inserted as sub Regulations (e) :-

1) "(e) Date of retirement "or" date of his retirement " in relation to an employee, means the afternoon of the last date of the month in which the employee attains the age prescribed for retirement under the terms and condition governing his service".

2) Sub Regulations (e), (f) and (g) of regulation 3 shall be renumbered as (f), (g) and (h) and existing sub regulation (h) shall be deleted.

3) A note shall be added as follows under the Regulation 3.

" Note:- Words and expressions used herein and not defined but defined in the Fundamental rules and

supplementary rules shall have the meaning respectively assigned to them in Fundamental rules and Supplementary rules."

3. In regulation 9 of the said regulation, the following shall be substituted after Explanation.
" As regards the combination of Special Casual Leave the Govt. of India decision under Rule 11 of CCS Leave Rules will apply".

4. In regulation 10 of the said regulation, the following regulation shall be inserted as regulation 10 (A).

10(A) Acceptance of service or employment while on leave:

(1) An employee while on leave, including leave preparatory to retirement, shall not take up any service or employment elsewhere, including the setting up of a private professional practice as accountant, consultant or legal or medical practitioner, without obtaining the previous sanction of -

(a) The Board, if the proposed service or employment lies elsewhere than in India; or

(b) the authority empowered to appoint him, if the proposed service or employment lies in India.

(2) (a) No employee while on leave other than leave preparatory to retirement shall ordinarily be permitted to take up any other service or employment.

(b) If grant of such permission is considered desirable in any exceptional case, the employee may have his services transferred temporarily from his parent office to the office in which he is permitted to take up service or employment or may be required to resign his appointment before taking up any other service or employment.

(c) An employee while on leave preparatory to retirement shall not be permitted to take up private employment.

He may, however, be permitted to take up employment with a Public Sector Undertaking or a body controlled or financed by the Govt.

"Note: The order sanctioning leave shall indicate the balance of earned leave/half pay leave at the credit of the employee."

5. In regulation 13, the following provisions shall be inserted as Regulation 13(A):

13(A) Leave not to be granted in certain circumstances:

Leave shall not be granted to an employee whom a competent punishing authority has decided to dismiss, remove or compulsorily retire from Board service.

Note: During suspension also, leave may not be granted to an employee under suspension.

6. In Regulation 17 of the said regulation, Sub-regulation (1) and the proviso shall be substituted as follows:

17. Combination of Holiday with leave: (1) When the day, immediately preceding the day on which an employee's leave (other than leave on Medical certificate) begins or immediately following the day on which his leave expires, is a holiday or one of a series of holidays, the employee may be permitted to leave his station at the close of the day before, or return to it on the day following such holidays or series of holidays.

provided that-

(a) his transfer or assumption oc charge does not involve the handling or taking over of securities or of moneys other than a permanent advance;

(b) his early departure does not entail a correspondingly early transfer from another station of an employee to perform his duties; and

(c) the delay in his return does not involve a corresponding delay in the transfer to another station of the employee who was performing his duties during his absence or in the discharge from Board's service of a person temporarily appointed to it.

(ii) In the case of leave on medical certificate -

(a) When an employee is certified medically unwell to attend office, holiday(s) if any, immediately proceding the day he is so certified shall be allowed automatically to be prefixed to leave and the holiday(s) if any, immediately succeeding the day he is so certified (including that day) shall be treated as part of the leave; and

(b) When an employee is certified medically fir for joining duty, holiday(s), if any succeeding the day he is so certified (including that day) shall automatically be allowed to be suffixed to the leave, and holiday(s), if any preceeding the day he is so certified shall be treated as part of the leave.

7. In Regulation 18 of the said regulation, the sub regulation (1) and (2) shall be deleted.

Sub regulation (3) shall be substituted as follows:

In case an employee is recalled to duty before the expiry of his leave, such recall to duty shall be treated as compulsory in all cases and the employee shall be entitled -

(a) If the leave from which he is recalled is in India, to be treated as on duty from the date on which he starts for the station to which he is ordered, and to draw -

(i) travelling allowance under rules made in this behalf for the journey, and

(ii) leave salary, until he joins his post, at the same rate at which he would have drawn it but for recall to duty;

(b) if the leave from which he is recalled is out of India, to count the time spent on the voyage to India as duty for purposes of calculating leave, and to receive -

(i) leave salary, during the voyage to India and for the period from the date of landing in India to the date of joining his post, at the same rate at which he would have drawn it but for recall to duty;

(ii) a free passage to India;

(iii) refund of his passage from India if he has not completed half the period of his leave by the date of leaving for India on recall, or three months whichever is shorter;

(iv) travelling allowance, under the rules for the time being in force, for travel from the place of landing in India to the place of duty.

8. In regulation 21 of the said regulations, the following shall be added as sub.clause (vi) under sub regulation 1 (a).

1). (vi) When an employee joins a new post without availing full joining time by reason that -
(a) he is ordered to join the new post at new place of posting without availing of full joining time to which he is entitled,

Or

(b) he proceeds alone to the new place of posting and joins the post without availing full joining time and take his family later within the permissible period of time for claiming travelling allowance for the family/the number of days of joining time as

admissible under sub rule (4) of rule 5 of the Central Civil Services (joining time) rules 1979, subject to a maximum of 15 days reduced by the number of days of joining time actually availed of shall be credited to his leave account as earned leave.

Provided that the earned leave at his credit together with the unavailed joining time allowed to be so credited shall not exceed 240 days".

2). The following shall be inserted as clause(c) under sub regulation (1) of regulation 21.

"(c) A period spent in fofeign service shall count as duty for purposes of this regulation, if contribution towards leave salary is paid on account of such period".

3). In sub regulation (3) of the regulation 21, the words "and/or some period of absence has been treated as "dies hon" shall be inserted between the words "extra - ordinary leave" and "during the previous half year" occurring in the first line. The words "and/or dies-non shall be inserted between the words "extraordinary leave" and "availed of" occuring in the fourth line.

4). In Regulation 21 of the said regulation, in clause(b) of sub regulation (1) the words and figures '180 days' appearing shall be read as '240 days'.

9. In regulation 22 of the said Regulation, the following sub Regulations shall be added as sub regulation (4) and sub regulation (5):-

1). "(4) Where a period of absence of suspension of an employee has been treated as "dies non" in a half year, the credit to be afforded to his half pay, leave account at the commencement of next half year, shall be reduced by one eighteenth of the period of "dies non" subject to a maximum of ten days."

2) "(5) While affording credit of half pay leave fraction of a day shall be rounded off to the nearest day".

10. In regulation 23 of the said regulation, clause (c) of sub regulation (1) shall be deleted.

11. The Regulation 24 shall be substituted as follows:

"24 Leave not due :- (1) Save in the case of leave preparatory of retirement, leave not due may be granted to an employee in permenent employ limited to a maximum of 360 days during the entire service on medical certificate subject to the following conditions:

(a) the authority competent to gr-ant leave is satisfied that there is a reasonable prospect of an employee returning to duty on its expiry;

(b) leave not due shall be limited to the half pay leave he is likely to earn thereafter;

(c) leave not due shall be debited against the half pay leave an employee may earn subsequently.

(2) Leave not due may be granted to temporary employees who are suffering from Tuberculosis, Leprosy, Cancer or mental illness, for a period not exceeding 360 days during the entire service, subject to the fulfilment of conditions in clauses (a), (b) and (c) of sub regulation (1) subject to

(i) travelling allowance under rules made in this behalf for the journey, and

(ii) leave salary, until he joins his post, at the same rate at which he would have drawn it but for recall to duty;

(b) if the leave from which he is recalled is out of India, to count the time spent on the voyage to India as duty for purposes of calculating leave, and to receive -

(i) leave salary, during the voyage to India and for the period from the date of landing in India to the date of joining his post, at the same rate at which he would have drawn it but for recall to duty;

(ii) a free passage to India;

(iii) refund of his passage from India if he has not completed half the period of his leave by the date of leaving for India on recall, or three months whichever is shorter;

(iv) travelling allowance, under the rules for the time being in force, for travel from the place of landing in India to the place of duty.

8. In regulation 21 of the said regulations, the following shall be added as sub.clause (vi) under sub regulation 1 (a).

1). (vi) When an employee joins a new post without availing full joining time by reason that -
(a) he is ordered to join the new post at new place of posting without availing of full joining time to which he is entitled,

Or

(b) he proceeds alone to the new place of posting and joins the post without availing full joining time and take his family later within the permissible period of time for claiming travelling allowance for the family/the number of days of joining time as

(b) Where an employee who having availed himself of leave not due returns to duty but resigns or retires from service before he has earned such leave, he shall be liable to refund the leave salary to the extent the leave has not been earned subsequently.

(1) Provided that no leave salary shall be recovered under clause (a) or clause (b) if the retirement is by reason of ill health incapacitating the employee for further service or in the event of his death.

(2) Provided further that no leave salary shall be recovered under clause (a) or clause(b), if the Port servant is compulsorily retired prematurely under Regulation 5 of New Mangakore Port Trust Employees (Retirement) Regulations, 1980.

12. In regulation No.25, sub regulation (1) to (6) of the said Regulation shall be substituted as follows:

" 25 Extraodinary Leave:

(1) Extraordinary leave may be granted to an employee in special circumstances -

(a) when no other leave is admissible;
(b) when other leave is admissible, but theGovt. servant applies in writing for the grant of extraordinary leave.

(2) Unless the Board in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, no employee who is not in permanent employee shall be granted extraordinary leave in any one occasion in excess of the following limits:-

(a) three months;
(b) six months, where the employee has completed one year's continuous service on the date of expiry of leave of the kind due and admissible under these rules, including three months extraordinary leave under clause (a) and his request for such leave is supported by a medical certificate as required by these regulations;

(c) eighteen months, where the employee who has completed one year's continuous service is undergoing treatment for -

(i) Pulmonary tuberculosis or pleurisy of tubercular origin, in a recognised sanatorium;

Note:- The concession of extraordinary leave upto eighteen months shall be admissible also to an employee suffering from pulmonary tuberculosis or pleurisy of tubercular origin who receives treatment at his residence under a tuberculosis specialist recognised as such by the State Administrative Medical Officer concerned and produces a certificate signed by that specialist to the effect that he is under his treatment and that he has reasonable chances of recovery on the expiry of the leave recommended.

(ii) tuberculosis of any other part of the body by a qualified tuberculosis specialist or a Civil Surgeon or Staff Surgeon or

(iii) Leprosy in a recognised leprosy institution or by a Civil Surgeon or staff Surgeon or a Specialist in in leprosy hospital recognised as such by the State Administrative Medical Officer concerned;

(iv) Cancer or for mental illness, in an institution recognised for the treatment of such disease or by a Civil Surgeon or Staff Sufgeon or a Specialist in such disease.

(e) twenty four months, where the leave is required for the purpose of prosecuting studies certified to be in the public interest, provided the employee concerned has completed three years' continuous service on the date of expiry of leave of the kind due, and admissible under these rules, including three months' extraordinary leave under clause (a)

3. (a) Where an employee is granted extraordinary leave in relaxation of the provisions contained in clause (e)

of sub regulation(2), shall be required to execute a bond in Form 6 undertaking to refund to the Board the actual amount of expenditure incurred by the Board during such leave plus that incurred by any other agency with interest thereon in the event of his not returning to duty on the expiry of such leave or quitting the service before a period of three years after return to duty.

(b) The bond shall be supported by sureties from two permanent employees having a status comparable to or higher than that of the employee -

4. Employees belonging to the Scheduled Castes or Scheduled tribes may, for the purpose of attending the Pre-Examination Training Course at the Centres notified by the Board from time to time, be granted extraordinary leave by Head of the Department in relaxation of the provisions of sub regulation (2).

5. Two spells of extraordinary leave, if intervened by any other kind of leave, shall be treated as one continuous spell of Extraordinary leave for the purpose of sub-regulation (2).

6. The authority competent to grant leave may commute retrospectively periods of absence without leave into extraordinary leave.

13. In Regulation 26 of the said regulation, under sub regulation 3, the following note shall be added.

"Note: Leave at the credit of an employee on the date of his appointment as an apprentice in the N.M.P.T. shall not lapse but may be allowed to be carried forward on his appointment to a post in the N.M.P.T. on the expiry of the period of apprenticeship."

14. In Regulation 28 of the said regulation, the figure and word appearing '180 days' shall be substituted as '240 days'

15. The Regulation No.29 of the said regulations shall be substituted as follows:

"29 Leave/Cash Payment in lieu of leave beyond the date of retirement or quitting of services

(1) No leave shall be granted to an employee beyond -

(a) the date of his retirement, or

(b) the date of his final cessation of duties or

(c) the date of which he retires by giving notice to Board or he is retired by giving him notice or pay and allowance in lieu of such notice, in accordance with the terms and conditions of his service, or

(d) the date of his resignation from service,

(2) (a) Where an employee retires on attaining the normal age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service, the authority competent to grant leave shall suo motu issue an order granting cash equivalent of leave salary for earned leave, if any, at the credit of the employee on the date of his retirement subject to a maximum of 240 days.

(b) The cash equivalent under clause (a) shall be calculated as follows and shall be payable in one lump sum as a one time settlement, . No House Rent Allowance or City Compensatory Allowance shall be payable:

$$\text{Cash Equivalent} = \frac{\text{Pay admissible on the date of retirement plus dearness allowance admissible on that date}}{30} \times \text{Number of days of un-utilised earned leave at credit on the date of retirement subject to a maximum of 240 days}$$

(3) The authority competent to grant leave may withhold whole or part of cash equivalent of earned leave in the case of an employee who retires from service on attaining the age of retirement while under suspension or while disciplinary or criminal proceedings are pending against him, if in the view of such authority there is a possibility of some money becoming recoverable from him on conclusion of the proceedings

against him. On conclusion of the proceedings, he will become elegible to the amount so withheld after adjustment of Board dues, if any.

(4) (a) Where the service of an employee has been extended in the interest of public service beyond the date of his retirement he may be granted -

(i) during the period of extension, any earned leave due in respect of the period of such extension plus the earned leave which was at his credit on the date of his retirement subject to a maximum of 120 days/240 days as the case may be.

(ii) after expiry of the period of extension, cash equivalent in the manner provided in sub regulation (2) in respect of earned leave at credit on the date of retirement, plus the earned leave earned during the period of extension, reduced by the earned leave availed of during such period, subject to a maximum of 240 days.

(b) The cash equivalent payable under sub clause (ii) of cl.(a) of this sub regulation shall be calculated in the manner indicated in clause (b) of sub regulation (2) above.

(5) An employee who retires or is retired from service in the manner mentioned in clause (c) of Sub Regulation (1) may be granted suo motu by the authority competent to grant leave, cash equivalent of the leave salary in respect of earned leave at his credit subject to a maximum of 240 days and also in respect of all the half pay leave at his credit provided this period does not exceed the period between the date on which he so retires or is retired from service and the date on which he would have retired in the normal course after attaining the age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service. The cash equivalent shall be equal to the leave salary as admissible for earned leave and or equal to the leave salary as admissible for half pay leave plus dearness allowance admissible on that leave salary for the first 240 days at the rate in force on the date the employee so retires or is retired from service. The pension and pension equivalent of other retirement benefits and adhoc relief/graded relief on pension shall be deducted from the leave salary paid for the period of half pay leave, if any, for which the cash equivalent is payable. The amount so calculated shall be paid in one lump sum as a one time settlement. No House Rent Allowance or City Compensatory Allowance shall be payable.

provided that if leave salary for the half pay leave component falls short of pension and other pensionary benefits, cash equivalent of half pay leave shall not be granted.

(5) (A) Where an employee is compulsorily retired as a measure of penalty under the provisions of the New Mangalore, Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulation 1980 and the disciplinary authority has not imposed any reduction in the amount of his pension (including gratuity) under Rule 40 of Central Civil Services (pension) Rules, 1972, the authority competent to grant leave shall suo motu issue an order granting cash equivalent of leave salary for earned leave, if any, at credit of the employee on the date of such retirement, subject to a maximum of two hundred and forty days in the manner indicated in Sub Regulation 2(b) of Regulation 29.

(6) (a) (i) Where the services of an employee are terminated by notice or by payment of pay and allowances in lieu of notice, or otherwise in accordance with the terms and conditions of his appointment, he may be granted, sue motu by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date on which he ceases to be in service subject to a maximum of 240 days.

(ii) If an employee resigns or quits service, he may be granted, suo motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of cessation of service, to the extent of half of such leave at his credit, subject to a maximum of 120 days.

(iii) An employee, who is re-employed after retirement may, on termination of his re-employment, be granted suo motu, by the authority competent to grant leave cash equivalent in respect of earned leave at his

credit on the date of termination of re-employment subject to a maximum of 240 days (including the period for which encashment was allowed at the time of retirement.)

(b) The cash equivalent payable under clause (a) shall be calculated in the manner indicated in clause(b) of sub regulation (2) and for the purpose of computation of cash equivalent under sub clause (iii) of clause (a), the pay on the date of the termination of re-employment shall be fixed in the scale of post of re-employment before adjustment of pension and pension equivalent of other retirement benefits, and the dearness allowance appropriate to the pay.

(16) 1) The Regulation 30 of the said regulations shall be substituted as follows:

" 30. Cash equivalent of leave salary in case of death in service:

In case an employee dies while in service, the cash equivalent of the leave salary that the would have got had he gone on earned leave that deceased employee would have had he gone on earned leave that would have been due and admissible to him but for the death on the date immediately following the death and in any case, not exceeding leave salary for 240 days, shall be paid to his family in the manner specified in Regulation 30 C without any reduction on account of pension equivalent of death-cum-retirement gratuity.

Note:- In addition to the cash equivalent of leave salary admissible under this regulation, the family of the deceased employee shall also be entitled to payment of dearness allowance only as per orders issued in this behalf separately.

2) In Regulation 30 of the said Regulation, the following regulation shall be incorporated as Regulation 30(A):

"30(A) Encashment of earned leave: (i) Every employee shall be allowed to encash upto 50 per cent of the earned leave standing to his credit, once in a calendar year, subject to the condition that he should avail of earned leave of not less than seven days during that calender year simultaneously or before such encashment.

(ii) The encashed earned leave shall be debited to the earned leave account of the employee as if he has actually availed it.

(iii) In the case of an employee who simultaneously avails earned leave while encashing, the earned leave actually encashed shall not exceed the maximum earned leave admissible to the employees at a time i.e.120 days under the New Mangalore Port Trust (Leave) Regulations, 1980.

(iv) The amount of such encashment shall be the pay and allowances for which the employee actually would have been eligible had he gone on leave and will be paid in advance.

(v) In the case of an employee who as on the verge of retirement, the period of available service between the date of encashment and the date of retirement shall not be less than the actual number of days encashed.

(vi) The amount paid in lieu of leave shall not count as emoluments for any purpose. It shall not also be subjected to recoveries in respect of Provident Fund Subscription, loans, advances etc.

(vii) Employees who are on deputation on foreign service terms to government of India or State Government or to other Public Sector Undertakings or other Ports will also be eligible for the benefit of these regulations, the entire liability being borne by the New Mangalore Port Trust.

3) In Regulation 30 of the said Regulation, the following regulation shall be incorporated as Regulation 30(B):

" 30 (B) Cash equivalent of leave salary in case of invalidation from service:

An employee who is declared by a medical authority to be completely and permanently incapacitated for further service may be granted suo motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent of leave salary in respect of leave due and admissible, on the date of his invalidation from service, provided that the period of leave for which he is granted cash equivalent does not extend beyond the date on which he would have retired in the normal course after attaining the age prescribed for retirement under the terms and conditions governing his service. The cash equivalent thus payable shall be equal to the leave salary as calculated under sub regulation (5) of regulation 29. An employee not in perment employ shall not however be granted cash equivalent of leave salary in respect of half pay leave standing, at his credit on the date of his invalidation from service.

4.) In Regulation 30 of the said Regulation, the following Regulation shall be incorporated as Regulation 30 (C):

"30(C) Payment cash equivalent of leave salary in case of death etc. of an employee:

In the event of the death of an employee while in service or after retirement or after final cessation of duties but before actual receipt of the cash equivalent of leave salary payable under Regulation 30, 30(A) and 30(B) such amount shall be payable:-

(i) to the widow, and if there are more widows than one, to the eldest surviving widow if the deceased was a male employee or to the husband, if the deceased was a female employee.

Note:. The expression "Eldest surviving widow" shall be construed with reference to the seniority according to the date of marriage of the surviving widows and not with reference to their ages;

(ii) failing a widow or husband, as the case may be, to the eldest surviving son; or an adopted son;

(iii) failing (i) and (ii) above, to the eldest surviving unmarried daughter;

(iv) failing (i) to (iii) above, to the eldest surviving widowed daughter;

(v) failing (i) to (iv) above, to the father.

(vi) failing (i) to (v) above to the mother.

(vii) failing (i) to (vi) above, to the eldest surviving brother below the age of eighteen years.

(viii) failing (i) to (vii) above, to the eldest surviving unmarried sister and

(ix) failing the above, to the eldest surviving widowed sister.

17. The Regulation No.31 of the said regulation shall be deleted.

18. In Regulation 32 of the said regulation, the explanation (i) and (ii) below sub regulation 7(b) shall be deleted.

The following note shall be inserted under sub regulation (1) of the Regulation.

"Note:- In respect of any period spent on foreign service out of India the pay which the employee would have drawn if on duty in India but for foreign service out of India shall be substituted for the pay actually drawn while calculating leave salary."

19. The Regulation 35 of the said regulation shall be substituted as follows:

35 Maternity Leave:

(1) A female employee (including an apprentice) with less than two surviving children may be granted maternity leave by an authority competent to grant leave for a period of 90 days from the date of its commencement.

(2) During such period she shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

Note: In the case of a person to whom the Employees' State Insurance Act, 1948(34 of 1948) applies , the amount of leave salary payable under this rule shall be reduced by amount of benefit payable under the said Act for the corresponding period.

(3) Maternity leave not exceeding 6 weeks may also be granted to a female employee (irrespective of number of surviving children) in case of miscarriage, including abortion on production of Medical Certificate as laid down in Regulation 14.

(4) (a) Maternity leave may be combined with leave of any other kind.

(b) Notwithstanding the requirement of production of medical certificate contained in Regulation (23) or Regulation (24) leave of the kind due and admissible (including commuted leave for a period not exceeding 60 days and leave not due) upto a maximum of one year may, if applied for, be granted in continuation of maternity leave granted under sub regulation (1).

(5) Maternity leave shall not be debited against the leave account.

(6) No maternity leave for threatened x abortion -

The explanation under the regulation shall be numbered as (1) and the following explanation shall be added as explanation No.(2).

Explanation 2 :- It is clarified that "abortion" does not include "threatened abortion" and maternity leave cannot be granted in the case of "threatened abortion".

20. In Regulation 38 of the said Regulation, the sub regulation

(1) shall be substituted as follows:

(1) The authority competent to grant leave may grant hospital leave to class III & IV employees whose duties involve the handling of dangerous machinery explosive materials, poisonous drugs and the like, or the performance of hazardous tasks, while under medical treatment in a hospital or otherwise, for illness or injury if such illness or injury is directly due to risks incurred in the course of their official duties.

21. The Regulation 40 of the said regulation shall be deleted.

22. In Regulation 41 of the said Regulation, the sub regulation (5) shall be substituted as follows:

"(5) Study leave may be granted to an employee -

(i) Who has satisfactorily completed period of probation and has rendered not less than five years' regular continuous service including the period of probation under the Port Trust Board.

(ii) Who is not due to reach the age of superannuation from the service of the Board within three years from the date on which he is expected to return to duty after the expiry of the leave; and

(iii) who executes a bond as laid in regulation 44(4) undertaking to serve the port Trust Board for a period of three years after the expiry of leave.

23. In regulation 47 of the said regulation, the words

1). "(without allowance other than Dearness Allowance) occuring within brackets in sub regulation (1) shall be deleted. The words" and the dearness allowance and house rent allowance" shall be added at the end.

In sub regulation (2) (a) the words "without allowance other than Dearness allowance" occuring within the brackets shall be deleted. The words " and in addition the dearness allowance and house rent allowance as admissible in accordance with provisions of Regulation 51" shall be added at the end.

24. In regulation 48 of the said Regulation, the word "Employee" appearing between the words "the direction of the "and" or" of clause (a) of sub regulation (4) shall be read as "Board".

25. The Regulation 51 of the said Regulation shall be substituted as follows :

51. Admissibility of allowance in addition to study allowance:

(1) For the first 120 days of the study leave house rent allowance shall be paid at the rates admissible to the employee from time to time at the station from where he proceeded on study leave. The continuance of payment of house rent allowance beyond 120 days shall be subject to the production of certificate as prescribed by the Board from time to time.

(2) Except for house rent allowance as admissible under sub rule (1) and the dearness allowance and the study allowance, where admissible, no other allowance shall be paid to an employee in respect of the period of study leave granted to him.

26. In regulation 54 and sub regulation (1) of the said regulation, the words " or fails to complete the course of study and is thus unable to furnish the certificates as required under sub regulation 5 of Regulation 44" shall be inserted between the words ". such return to duty" and "he shall be required to refund".

In proviso under the sub Regulation (1) the words "except in the case of employees who fails to complete the course of study" shall be inserted between the words " provided that" and "Nothing".

Footnote :—Principal Regulations were published in the Office Gazette vide Notification GSR 149(E) dated 28th March, 1980.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997